



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :: A-1/ Draftsman/S-2/2023

मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: -29 मई, 2023

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि: - 19 जून, 2023 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

उत्तराखण्ड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 19 जून, 2023 तक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वधार एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक विधिमान्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 19 जून, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण के अन्तर्गत (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अवश्य अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पूर्ति न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसके लिये अतिरिक्त शुल्क अभ्यर्थी द्वारा जमा करना आवश्यक होगा, इस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पृथक से आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापित प्रसारित की जायेगी।
अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन का अवसर प्रदान करने के बाद किसी अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावों को परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-01 , पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02 , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03 , न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04 , परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु परिशिष्ट-05 , 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-07 का अवलोकन करें।
7.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के क्रम में अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा -शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, कार्यालय ज्ञाप संख्या 175/10/अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया/अधि0/2021-22, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
8.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
9.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
10.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

11.	अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
12.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंको के लिए प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (Merit) के आधार पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

01. पदनाम/रिक्तियों का विवरण— मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023 हेतु कुल रिक्त पद 64 है तथा रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों के सापेक्ष उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, पद का स्वरूप, वेतनमान, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता का विभागवार विवरण निम्नवत है:-

(क) विभाग का नाम:- उत्तराखण्ड, वन विभाग, पदनाम:- मानचित्रकार, कुल पद:- 30

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	02	02	03	20	30

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

श्रेणी	रिक्त पद	उपश्रेणीवार/रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	भूतपूर्व सैनिक 5%	अनाथ एवं प्रभावित बच्चें 5%
अनारक्षित	20	06	01	—	02	01
अनुसूचित जाति	03	01				—
अनुसूचित जनजाति जाति	02	01				—
अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01				—
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	01				—
योग	30	10	01	—	02	01

नोट:-शासनादेश संख्या-163/XVII-A3/2021-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 से जारी शासनादेश के क्रम में वन विभाग को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा-34 के परन्तुक के अंतर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित रखा गया है। जिसके अनुसार उक्त पद हेतु दिव्यांगजन की कोई भी श्रेणी चिन्हांकित नहीं है।

(iii)	पद का स्वरूप	अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
(iv)	वेतनमान	वेतनमान रु. 35400-112400, (लेवल-6)
(v)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	सेवा में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था का मानचित्रकारकम् का प्रमाण-पत्र या सिविल अभियंत्रण का 'डिप्लोमा' होना चाहिए। “A Candidate for direct recruitment to a post in the Service must possess a certificate of Draftsmanship or a Diploma in Civil Engineering from a recognized university or institution.”
(vi)	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को

	अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
--	---

(ख) विभाग का नाम:— उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग पदनाम:— मानचित्रकार , कुल पद:— 12

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

क्र०सं०	नगर निकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
1	नगर निगम देहरादून	01	---	---	---	01	02
2	नगर निगम हरिद्वार	01	---	---	---	01	02
3	नगर निगम रुड़की	---	---	---	---	01	01
4	नगर निगम काशीपुर	---	---	---	---	01	01
5	नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम	---	---	---	---	01	01
6	नगर निगम कोटद्वार	---	---	---	---	01	01
7	नगर निगम रुद्रपुर	---	---	---	---	01	01
8	नगर निगम ऋषिकेश	---	---	---	---	01	01
9	नगर पालिका परिषद नैनीताल	---	---	---	---	01	01
10	नगर पालिका परिषद पौड़ी	---	---	---	---	01	01
कुल योग		02	00	00	00	10	12

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

श्रेणी	WO (30%)	DDF (02%)	Ex.S. (05%)	Orp. (05%)	PH (04%)	कुल
रिक्त पद	—	—	—	—	—	—

नोट:— उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग के विभिन्न निकायों में मानचित्रकार का पद दिव्यांगजन की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हांकित नहीं है।

(iii)	पद का स्वरूप	अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
(iv)	वेतनमान	वेतनमान रु. 29200-69100, (लेवल-5)
(v)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	1- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2- केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में

		डिप्लोमा/आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र।
(vi)	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(ग) विभाग का नाम:- उत्तराखण्ड, कृषि विभाग, पदनाम:- मानचित्रक, कुल पद:- 17

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	03	00	13	17

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:-

श्रेणी	रिक्त पद	उपश्रेणीवार/रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	भूतपूर्व सैनिक 5%	अनाथ एवं प्रभावित बच्चें 5%
अनारक्षित	13	04				---
अनुसूचित जाति	01	---				---
अनुसूचित जनजाति जाति	00	---	---	01 (HH/PD)	01	---
अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				---
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	---				---
योग	17	05	00	01	01	00

नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां LV/PB, HH/PD, OA, OL, LC, Dw, AAV/AV, Th, Hp निर्धारित है। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(iii)	पद का स्वरूप	अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
(iv)	वेतनमान	वेतनमान रु. 35400-112400, (लेवल-6)
(v)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। (ख) निम्न में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है:- (1) रुड़की विश्वविद्यालय के मानचित्रक में प्रमाण-पत्र। (2) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र। (3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में तीन वर्ष का प्रमाण-पत्र। (4) गवर्नमेंट ऑर्ट कॉलेज, लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा। (5) राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया तीन वर्ष का डिप्लोमा।

		(6) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा। (7) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिनार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाये जा रहे व्यायसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र। (8) अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में ढाई वर्ष का प्रमाण-पत्र।
(vi)	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(घ) विभाग का नाम:— उत्तराखण्ड, लघु सिंचाई विभाग पदनाम:— प्रारूपकार , कुल पद:— 04

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	01	01	01	04

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

श्रेणी	WO (30%)	DDF (02%)	Ex.S. (05%)	Orp. (05%)	PH (04%)	कुल
रिक्त पद	—	—	—	—	—	—

नोट:— प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां HH, Dw एवं AAV निर्धारित है। तदक्रम में दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(iii)	पद का स्वरुप	अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
(iv)	वेतनमान	वेतनमान रु. 35400-112400, (लेवल-6)
(v)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0/उत्तराखण्ड से हाईस्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उत्तर प्रदेश राजकीय/उत्तराखण्ड राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीस का प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
(vi)	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

(ङ) विभाग का नाम:— उत्तराखण्ड, संस्कृति विभाग पदनाम:— मानचित्रकार , कुल पद:— 01

(i) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	00	01

(ii) क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत रिक्तियों का विवरण:—

श्रेणी	WO (30%)	DDF (02%)	Ex.S. (05%)	Orp. (05%)	PH (04%)	कुल

रिक्त पद	-	-	-	-	-	-
----------	---	---	---	---	---	---

नोट:- उत्तराखण्ड, संस्कृति विभाग में मानचित्रकार का पद दिव्यांगजन की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हांकित नहीं है।

(iii)	पद का स्वरूप	अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
(iv)	वेतनमान	रू0 29200-रू0 92300 (लेवल-5)
(v)	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	1- माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियंत्रण या मानचित्रकारिता (सिविल) या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा या कोई उपाधि।
(vi)	अधिमानी अर्हता	अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (1) ड्राइंग कार्य का 01 वर्ष का अनुभव या पुरातत्वीय ड्राइंग कार्य का अनुभव या, (2) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

02. आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 35/उ0अधि0से0स0आ0/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश सं0-191, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के क्रम में 01 वर्ष की छूट प्रदान करते हुये आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों को समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य रहेगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है।

नोट:- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 35/उ0अधि0से0स0आ0/2021दिनांक 26.07.2021 के सापेक्ष किये गये ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों, को अभिलेख सत्यापन के समय उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी, अन्यथा अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

03. अधिकतम आयु सीमा में छूट:-

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या :1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या-6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूत पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन

के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक-16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

04. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:-

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है :-

शासन की अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

05. आरक्षण :- (i) उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला एवं अनाथ बच्चे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ii) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-3" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित करा लें तथा आयोग द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के "O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(iv) पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0-38(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हो तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो, के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

(v) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(vi) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा उत्तराखण्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(viii) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान अनुमन्य होंगे।

(ix) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 179/XXX(2)/2021-30(2)2019, दिनांक 31 अगस्त 2021 एवं पत्र संख्या 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों हेतु आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान अनुमन्य होंगे। संबंधित प्रमाण-पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उपजिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

06. राष्ट्रीयता :-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

07. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

08. वैवाहिक प्रास्थिति- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

09. शारीरिक स्वस्थता- किसी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और वह शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

10. शुल्क:-शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।

2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself” declaration** पर टिक कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर कार्यवाही पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) रजिस्ट्रेशन के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. अभ्यर्थियों के लिए लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny)/ अभिलेख सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाणपत्रों का अभिलेख सत्यापन कार्यालय ज्ञाप संख्या 175/10/अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया/अधि0/2021-22, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल **ukpschelp@psc.uk.gov.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) विज्ञापित पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 250 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा और मानचित्रकारम का एक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**-वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति (Negative Marking Pattern) अपनाई जायेगी।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। ओ0एम0आर0 प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरने पर किसी भी स्तर पर सुधार करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ऐसे किसी भी दुराचार के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(14) परीक्षा केन्द्र में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression):— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिव्यस्क, अल्पव्यस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रियाओं आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(18) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया

जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(19) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(22) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(23) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(24) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(25) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(26) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(27) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न नगरों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगरों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उस पर विचार किया जाएगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों की अनर्हता के सम्बन्ध में अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जाएगी।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(31) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-01

परीक्षा योजना

मानचित्रकार / मानचित्रक / प्रारूपकार परीक्षा-2023 हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् है:-

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	प्रश्नपत्र-1	सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित एवं सामान्य अध्ययन	150	150	02 घण्टा
2	प्रश्नपत्र-2	विषयपरक जानकारी	100	100	02 घण्टा
कुल अंक				250	

नोट:- उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

पाठ्यक्रम (मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023)

प्रश्नपत्र:-1

समय:- 02 घण्टा

विषय :: सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित एवं सामान्य अध्ययन

1. सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

कुल प्रश्न पत्र-30

अधिकतम अंक-30

1. वर्ण-विचार : स्वर एवं व्यंजन-परिभाषा, अन्तर, उच्चारण-स्थान।
2. शब्द-विचार : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण।
3. शब्द-ज्ञान : संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग।
4. शब्द-भेद और शब्द-सम्बन्ध : तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द।
5. अशुद्धि-शोधन : शब्दगत अशुद्धि, अर्थगत अशुद्धि, विराम-चिह्न।
6. वाक्यांश एवं वाक्य : वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ।

2. सामान्य गणित

प्रश्नों की संख्या : 40

अधिकतम अंक : 40

संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्याएं, द्विआधारी संख्या पद्धति, बहुपदों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समान्तर श्रेणियां, निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति: त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल एवं आयतन। त्रिकोणमिति एवं इसके अनुप्रयोग। सांख्यिकी एवं प्रायिकता।

2. GENERAL MATHEMATICS

No of Questions: 40

MM:40

Number System, Real Numbers, Binary Number system, Polynomials, Linear equations in two variables, Quadratic equations, Arithmetic Progression, Coordinate Geometry, Euclid Geometry: Area of Triangles, Quadrilaterals, Circles. Surface Areas and Volumes. Trigonometry and its applications. Statistics and Probability.

3. सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक : 80

प्रश्न की संख्या : 80

1. सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान की आधारभूत जानकारी : मानव स्वास्थ्य पर विकास का प्रभाव, विद्युत प्रवाह का सामान्य अध्ययन, जैविक अणु और उसका ज्ञान, खाद्य पदार्थों पर रासायनिक ज्ञान, वस्तुओं की ठोस अवस्था पर सामान्य ज्ञान, घुलनशीलता, दवाएं और उनका वर्गीकरण।

कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषाओं का परिचय, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट और मल्टीमीडिया।

2. भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : मौर्य प्रशासन, अशोक का धम्म, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल का आकलन, तुर्कों के विरुद्ध राजपूत पराजय के कारण, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, भक्ति आन्दोलन, अकबर की धार्मिक नीति, मुगल स्थापत्य कला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, नरम दल तथा गरम दल, बंगाल विभाजन, भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास, गांधी जी के प्रमुख आन्दोलन, आज़ाद हिन्द फौज, भारत के विभाजन की परिस्थितियाँ

3. भारतीय राज्य व्यवस्था : भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया, 73 वीं संवैधानिक संशोधन एवं पीसा (PESA) का कानून, भारतीय संघवाद एवं इसकी चुनौतियाँ, भारतीय राजनीतिक दल, उत्तराखण्ड के जनजाति (Schedule-V) क्षेत्रों की समस्याएँ।

4. भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, वन सम्पदा, मिट्टी, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज संसाधन, उद्योग, व्यापार एवं यातायात। भारत की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास एवं नगरीकरण।

5. सम-सामयिक घटनाएं : विश्व में देशों का भौगोलिक स्थान, दक्षिण एशिया के राज्यों एवं सरकारों के मुखियाओं के नाम, उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से अब तक के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री के नाम, G-20 के देशों, उनके पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष देशों का नाम, सशस्त्र बल में नियुक्ति (बहाली) के लिए अग्निवीर योजना, भारत के पूर्व एवं वर्तमान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के नाम एवं उनके कार्यकाल की अवधि, भारतरत्न एवं अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तिथि एवं उत्तराखण्ड राज्य की महत्वपूर्ण तिथियाँ, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चलाये जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम, भारत के बाघ रिजर्व (Tiger Reserves) के नाम एवं उनकी संख्या।

6. उत्तराखण्ड का इतिहास : कत्यूरी शासक—शालिवाहन, निम्बार्त देव, ललितशूर देव, वीर देव, चंद शासक—सोमचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गरुड़ज्ञान चंद, कीर्ती चन्द्र, पंवार शासक—कनक पाल, अजय पाल, बलभद्रशाह, मानशाह, पृथ्वीपतिशाह, गोरखाली शासन—अमर सिंह थापा, आंग्ल—गोरखा युद्ध तथा

सगौली की सन्धि, ब्रिटिश शासन—एडवर्ड गार्डनर, जॉर्ज विलियम ट्रेल, उत्तराखण्ड में स्वतंत्रता आंदोलन, कालू महारा, कुमाऊं परिषद, प्रभु सेवा, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायश, स्वतंत्रता सेनानी—गोविन्द बल्लभ पंत, हर गोविन्द पंत, बैरिस्टर मुकून्दीलाल, बंदीदत्त पान्डे अनसूया प्रसाद बहुगुणा, चन्द्र सिंह गढ़वाली और पेशावर कांड, टिहरी रियासत के जन—आंदोलन— आज़ाद पंचायत की स्थापना, श्रीदेव सुमन तथा प्रजा मंडल, जयानन्द भारती तथा अमन सभा, समाचार पत्र—शक्ति, गढ़वाली, पुरुषार्थ कर्मभूमि, स्वाधीन प्रजा

7. उत्तराखण्ड की संस्कृति : जनजातियाँ — भोटिया या शौका, बोक्सा, जौनसारी, राजी (बनरौत), थारू, मत — शैव, शाक्त, वैष्णव, तीर्थ — बंदीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री।, मेले — जौलजीवी, का मेला, देवीधुरा का मेला, नन्दा देवी का मेला, राजाजात यात्रा, कुम्भ पर्व, उत्तरायणी मेला।, लोकगीत — जागर, रखवाली, मांगल, झुमैलो, खुदेड, बारहमासी, फूलदेई, जैती, छूडा, बैरगीत।, नृत्यगीत — चौफला, छोपली, चांचरी, थड्या, छोलिया।, वेशभूषा —झागुली, दोफाड़ की टोपी, लावा, मिर्जई।, आभूषण — शीशफूल, मांगटीका, मुखली, कर्णफूल, तग्यल, नथुली, गुलूबन्द, हंसुली पौंछी।, वाद्ययन्त्र — हुड़का, ढोल, डमरू, तुरी और रणसिंहा, बांसुरी, डफली, इकतारा, सारंगी।, रबेल और खिलाड़ी — रामबहादुर क्षेत्री (फुटबॉल), रक्षा पंवार, (फुटबॉल), अनीता रावत (फुटबॉल), उन्मुक्त चंद (क्रिकेट), ऋषभ पन्त (क्रिकेट), एकता बिष्ट (क्रिकेट), जसपाल राणा (शूटिंग), अभिनव बिन्द्रा (शूटिंग), लक्ष्यसेन (बैडमिन्टन)।

8. उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी : भौगोलिक स्थिति, नदियां, पर्वत, जलवायु, जैव विविधता, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, कृषि एवं प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, जल संकट एवं जलागम प्रबन्धन, जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, यातायात के साधन। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या पलायन एवं नगरीकरण।

9. उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन— प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।

10. सामान्य बुद्धि परीक्षण :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

3.General Studies

Maximum Marks-80

Total Questions-80

1. General Science and Fundamentals of Computer Science

Effect of development on human health, General study of electric current, Biotic molecules and its knowledge, Chemical Knowledge on food items, General knowledge on solid state of things, Solubility, Medicines and their classifications. Basics of Computer Science, Types of operating systems, Introduction to programming languages, Application software packages, Business Data Processing, Internet and Multimedia.

2. History of India and Indian National Movement: Mauryan administration, Asoka's Dhamma, Evaluation of the Gupta period as the Golden Period, The causes of the defeat of the Rajputs against the Turks, The expansionist policy of Alauddin Khilji, Bhakti Movement, Akbar' religious policy Mughal Architecture, The causes of the

downfall of the Mughals, The expansionist policy of Lord Dalhousie, The causes of the failure of the Revolt of 1857, The Moderates and the Extremists, The Partition of Bengal, The Development of the Revolutionary movement in India, The main movements of Gandhi ji, Azad Hind Fauj, Circumstances that led to the partition of India

3. Indian polity: Fundamental rights in the Indian Constitution, Functions and Powers of the President and Prime Minister of India., Functions and Powers of the Governors, Process of amendment in the constitution of India and important constitutional amendments, Procedure for removal of the Chief Justice of India, 73rd Constitutional Amendment and PESA Act, Indian federalism and its challenges, Indian political parties, Problems of Tribal (schedule-V), areas of Uttarakhand.

4. Geography and Demography of India : Physiography of India, Drainage System, Climate, Forest Resources, Soils, Agriculture, Multipurpose projects, Mineral Resources, Industry, Trade and Transportation. Population of India: Distribution, Density, Sex ratio, Literacy, Migration and Urbanization.

5. Current Events: Geographical location of countries in the world, Names of the head of the States and Governments of South Asia, Names of the Governors, Chief Justice and Chief Minister since the establishment of the State of Uttarakhand, Names of the former and present of Presidencies G-20 countries, Agniveer Yojana for recruitment in the Armed Forces, Name and tenure of former and present President and Vice President of India, Bharat Ratna and other important national awards, Important national dates and Important dates of Uttarakhand State, Names of Important schemes run by the Government of Uttarakhand, Name and number of Tiger reserves of India.

6. History of Uttarakhand: Katyuri Rulers – Shalivahan, Nimbart Dev, Lalitshoor Dev, Veer Dev, Chand Rulers – Som Chand, Lakshmi Chand, Garud Gyan Chand, Keerti Chand, Panwar Rulers – Kanak Pal, Ajay Pal, Man Shah, Prithvipati Shah, Gorkhali Rule – Amar Singh Thapa, Anglo-Gorkha War and the Treaty of Sagauli, British Rule – Edwar Gardener, George William Trail, Freedom Movement in Uttarakhand – Kalu Mehra, Kumaon Parishad, Prabhu Sewa, Kuli Begar, Kuli Utar, Kuli Bardayash, Freedom Fighters – Govind Ballabh Pant, Hargovind Pant, Barister Mukundi Lal, Badridatt Pande, Ansuya Prasad Bahuguna, Chandra Singh Gadhwal And the Peshawar Incident, Movements in Tihri State – The Foundation of Azad Panchayat, Martyrdom of Sridev Suman and Praja Mandal, Jayananda Bharti And Aman Sabha News Papers – Shakti, Gadhwal, Purusharth, Karmabhumi, Swadhin Praja

7. Culture of Uttarakhand: Tribes – Bhotia or Shauqa, Boksa, Jaunsari, Tharu, Raji (Banraut), Cults – Shaivites, Shaktas, Vaishnavites, Pilgrim centres – Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamnotri, Festivals – Jauljeevi, Devidhura, Nanda Dei, Rajjat Yatra, Kumbh, Uttarayani, Folk Song – Jagar, Rakhwali, Mangal, Chaiti, Jhumailo, Khudded, Baramasi, Phooldei, Chhooda, Bair geet, Folk dances – Chaufla, Chhopli, Chanchi, Thadya, Chholia, Dress – Jhanguli, Do-Phad Cap, Lava, Mirjai, Ornaments – Sheeshphool, Mang tika, Murkhali, Karnaphool, Tugyal, Nathuli, Guluband, Hansuli,

Paunchhee, Musical instruments – Hudka, Dhol, Damru, Turi and Ransingha, flute, Dafli, Iktara, Sarangi, Sports and Sports persons – Ram Bahadur Kshetri (Foot Ball), Raksha Panwar (Foot Ball), Anita Rawat (Foot Ball), Unmukta Chand (Cricket), Rishabh Pant (Cricket), Ekta Bisht (Cricket), Jaspal Rana (Shooting), Abhinav Bindra (Shooting), Lakshya Sen (Badminton)

8. Geography and Demography of Uttarakhand : Geographical setup, Rivers, Mountains, Climate, Biodiversity, Forest Resources, Soils and Horticulture, Agriculture and Major crops, Means of Irrigation, Water crisis and Watershed Management, Hydropower Projects, Environment and Environmental Movements, Means of Transportation. Population of Uttarakhand: Distribution, Density, Sex ratio, Literacy, Migration of population and Urbanization.

9. Economic and natural resources : Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment.

10. General intelligence Test :: In General Mental Ability, questions will include test comprehension, reasoning and numerical ability.

प्रश्नपत्र:—2

समय:— 02 घण्टा

विषयपरक जानकारी

अधिकतम अंक: 100

प्रश्नों की संख्या: 100

1. व्यावसायिक वन स्वास्थ्य और सुरक्षा: उद्योग में बरती जाने वाली सुरक्षा और सामान्य सावधानियों का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, पीपीई का परिचय, आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया जैसे, बिजली की विफलता, आग की चेतावनी, आदि।

2. इंजीनियरिंग ड्राइंग: आईएस 962-1989, एसपी 46:2003 के अनुसार वर्गों में सामग्री के लिए प्रतीकों और पारंपरिक प्रतिनिधित्व सादे ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण में ड्राइंग, लाइन, लेटरिंग और आयाम के निर्माण के लिए।

विभिन्न प्रकार के पैमाने का ज्ञान, R.F का सिद्धांत, रेखा, तल, ठोस वस्तुओं और ठोसवस्तुओं के सेक्शंस के ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण। ज्यामितीय ठोसों का सममितीय प्रक्षेपण (Isometric Projection), तिरछा (oblique view) और पर्सपेक्टिव दृश्य (Perspective View)।

3. भवन निर्माण सामग्री:

- पत्थर: विशेषताएँ, प्रकार और उपयोग।
- ईंटें: ईंटों का निर्माण, प्रकार, उपयोग और अच्छी ईंटों की विशेषताएं।
- चूना: विशेषताएँ, प्रकार और इसके उपयोग।
- सीमेंट: निर्माण, विशेषताएँ, प्रकार, उपयोग।

- रेत: विशेषताएँ, प्रकार और उपयोग।
- मोटार और कंक्रीट: प्रकार, उपयोग, तैयारी, अनुपात और अनुप्रयोग।
- टिम्बर: प्रकार, संरचना, रोग और दोष, विशेषताएँ, मसाला, संरक्षण उपयोगिता।
- इमारती लकड़ी और अन्य के लिए वैकल्पिक सामग्री : प्लाइवुड, ब्लॉक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फायर प्रूफ, प्रबलित प्लास्टिक (FRP), मध्यम घनत्व फाइबरबोर्ड (MDF), एल्यूमीनियम समग्र पैनल (ACP) आदि।
- टार, बिटुमेन, डामर: गुण, अनुप्रयोग और उपयोग।
- पेंट, वार्निश और डिस्टेंपरिंग: विशेषता, प्रकार और अनुप्रयोग।
- धातु और प्लास्टिक: विशेषता, प्रकार और उपयोग।

4. भवन निर्माण:

- भवनों के विभिन्न घटकों के नाम तथा भवन निर्माण का क्रम।
- स्टोन चिनाई: शर्तें , उपयोग और वर्गीकरण , निर्माण के सिद्धांत , समग्र चिनाई , दीवारों की ताकत , चिनाई की ताकत।
- ईंट की चिनाई-बंधन के निर्माण के सिद्धांत, प्रयुक्त उपकरण और उपकरण।
- नींव: नींव का उद्देश्य , मिट्टी की वहन क्षमता , मृत और जीवित भार , नींव के प्रकार , नींव के आधार की ड्राइंग , जमीन पर भवन का लेआउट , उत्खनन , सरल मशीन नींव , विवरण में शोरिंग और मचान के प्रकार , अंडरपिनिंग और इमारती लकड़ी के प्रकार .
- भवन संरचनाओं का उपचार: नमी के स्रोत और प्रभाव , भवन में नमी की रोकथाम के तरीके , नमी प्रूफिंग सामग्री के प्रकार और इसकी संपत्तियां, डीपीसी।
- दीमक रोधी उपचार-उद्देश्य, उपयोग और अनुप्रयोग।
- फायर प्रूफिंग - प्रभाव और नियम।
- मेहराब- विभिन्न घटक और इसके प्रकार।
- लिटेल - प्रकार, लकड़ी, ईंट, पत्थर, स्टील और आरसीसी।
- फॉर्मवर्क- स्लैब, बीम, कॉलम, बालकनी इत्यादि।
- दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर- उद्देश्य, प्रकार और मानक आकार।
- फ्लोरिंग- प्रकार और सामग्री।
- सीढ़ियाँ और लिफ्ट: प्रकार, विभिन्न तत्व, योजना और डिजाइनिंग।
- रूफ और रूफ कवरिंग: उद्देश्य, तत्व, प्रकार आदि।
- ट्रेस-किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, मंसर्ड।

5. **बिल्डिंग प्लानिंग** : उद्देश्य और महत्व , अभिविन्यास, आईएस कोड के अनुसार स्थानीय भवन उपनियम, लेआउट प्लान और की प्लान (Key Plan), प्रकाश और वेंटिलेशन के प्रावधान।

6. **भवन निर्माण सेवाएँ**: परिचय, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) में उपयोग की जाने वाली शर्तें, स्वच्छता की व्यवस्था, प्लंबिंग के साथ पानी की आपूर्ति सेनेटरी (Sanitary) फिटिंग आदि, सीवर के प्रकार, मैनहोल और सेप्टिक टैंक, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र।

7. सर्वेक्षण:

- श्रृंखला सर्वेक्षण का परिचय, इतिहास और सिद्धांत।

- विभिन्न उपकरण और उनके अनुप्रयोग, देखभाल और सामान्य शर्तें, वर्गीकरण, सटीकता, प्रकार।
 - मुख्य प्रभाग (प्लेन और जियोडेटिक)।
 - चेनिंग: फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क।
 - कम्पास सर्वेक्षण: उपकरण , असर, अनुप्रस्थ, स्थानीय आकर्षण , चुंबकीय दिक्पात और वास्तविक असर (True Bearing), प्रिज्मीय कम्पास और सर्वेयर कम्पास का उपयोग करने में सावधानियां।
 - प्लेन टेबल सर्वे: प्लेन टेबल सर्वे में इस्तेमाल होने वाला उपकरण , प्लेन टेबल की देखभाल और रखरखाव।
 - लेवलिंग: ऑटो लेवल, डम्पी लेवल, टिल्टिंग लेवल - परिचय, परिभाषा, लेवलिंग का सिद्धांत, लेवलिंग स्टाफ और इसके प्रकार , विभिन्न स्तरों के घटक / भाग और कार्य , अस्थायी और स्थायी समायोजन, स्थापना की प्रक्रिया , डेटम (Datum), बेंचमार्क, फोकसिंग और लंबन (Parallax), भवन निर्माण में लेवलिंग उपकरणों का प्रयोग।
 - समोच्च रेखा: परिभाषा , विशेषताएँ, विधियाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ , समोच्च का प्रक्षेप , समोच्च प्रवणता, समोच्च योजना और कंटूरमानचित्र (Contour Plan) का उपयोग।
 - थियोडोलाइट सर्वेक्षण: परिचय , थियोडोलाइट्स के प्रकार , उपयोग, प्लॉटिंग के तरीके , पारगमन थियोडोलाइट की शर्तें, थियोडोलाइट के मौलिक अक्ष , थियोडोलाइट का समायोजन, त्रुटियों की जांच और समायोजन, खुले और बंद ट्रैवर्स और इंजीनियरिंग समस्याओं के लिए उनके आवेदन , वर्नियर स्केल-प्रकार , क्षैतिज कोण की माप, ऊर्ध्वाधर कोण की माप, एक बंद ट्रैवर्स का समायोजन, ट्रांज़िट थियोडोलाइट में समस्याएं, प्रस्थान, अक्षांश, उत्तर और पूर्व की ओर।
 - जीपीएस: रिमोट सेंसिंग का परिचय, परिभाषा और अनुप्रयोग।
8. **प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना** : आरसीसी का परिचय , विभिन्न प्रकार के कंक्रीट ग्रेड और उनके उपयोग, आईएस कोड के अनुसार बार बैंडिंग विवरण , प्रबलित ईट का काम , संरचनात्मक तत्व - कॉलम, बीम, स्लैब -एक तरफा स्लैब (One way slab) और दो तरफा स्लैब (Two-way slab) रिटेनिंगवॉल, आर.सी.सी. फ्रेमयुक्त संरचना।
 9. **स्टील संरचनाएं**: स्टील सेक्शन के सामान्य रूप , संरचनात्मक फास्टनर, जोड़, तनाव औरसंपीड़न सदस्य, वर्गीकरण, निर्माण, निर्माण विवरण।
 10. **सड़कें**: परिचय, राजमार्ग विकास का इतिहास , संरेखण के सामान्य सिद्धांत , विभिन्न प्रकार की सड़कों, घटक भागों, सड़क वक्र, ढाल, सड़क जल निकासी प्रणाली का वर्गीकरण और निर्माण।
 11. **पुल और पुलिया**: पुलों का परिचय, पुल के घटक भाग, पुलियों का वर्गीकरण, एबटमेंट्स, विंग वॉल, पुलों का वर्गीकरण।
 12. **रेलवे**: स्थायी रास्ता, रेल के प्रकार, रेल गेज, कार्य, आवश्यकताएँ, खंड, रेल की लंबाई, जोड़ों के प्रकार, फिश प्लेट, फिश बोल्ट-स्पाइक्स, कुर्सियाँ और चाभी वाली प्लेट और बेस प्लेट।
 13. **अनुमान और लागत**: परिचय, उद्देश्य और सामान्य तकनीक, माप तकनीक, महत्व और इसके प्रकार, विशिष्ट वस्तुओं का दर विश्लेषण और उनके विनिर्देश, श्रम और सामग्री, दरों की अनुसूची, माप की इकाइयाँ और माप की मानक विधि।

14. **कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग** : ऑपरेटिंग सिस्टम , हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर , सीएडी (CAD) का परिचय , इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस , सीएडीके बुनियादी आदेश , टूल आइकन का ज्ञान और टूलबार का सेट, शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड का ज्ञान।

Note: In case of any confusion English Version shall be treated as final.

Paper:- 2

Time:- 02 Hour

Subjective Knowledge

MM : 100

No of Questions : 100

1. **Occupational Forest Health and Safety:** Importance of safety and general precautions observed in the industry, introduction to First aid, Introduction to PPEs, response to emergencies e.g., power failure, fire alarm, etc.
2. **Engineering Drawing:** Symbols & conventional representation for materials in sections as per IS 962- 1989, SP 46:2003 for building drawings, lines, lettering and dimensioning in construction of plain geometrical figures.
Knowledge of different types of scale, principle of R.F, Basic principles of Orthographic Projections of line, plane, solid objects & section of solids. Isometric Projection of geometrical solids, Oblique and Perspective views.
3. **Building Materials.**
 - Stones: Characteristics, types & uses.
 - Bricks: Manufacturing, types, uses and characteristics of good bricks.
 - Lime: Characteristics, types and its uses.
 - Cement: Manufacturing, characteristics, types, uses.
 - Sand: Characteristics, types & uses.
 - Mortar & Concrete: Types, uses, preparation, proportion and applications.
 - Timber: Types, structure, disease & defects, characteristics, seasoning, preservation utility.
 - Alternative materials to timber and others: Plywood, block board, particle board, fire proof reinforced plastic (FRP), Medium density fiberboard (MDF), Aluminum Composite Panel (ACP) etc.
 - Tar, bitumen, asphalt: Properties, application and uses.
 - Paints, Varnishes and distempering: Characteristic, types and applications.
 - Metal and Plastics: Characteristic, types and uses.
4. **Building Construction:**
 - Name of different components of buildings and sequence of building construction.
 - Stone masonry: Terms, use and classification, principle of construction, composite masonry, strength of walls, strength of masonry.
 - Brick masonry: Principles of construction of bonds, tools and equipment's used.

- Foundation: Purpose of foundation, bearing capacity of soils, dead and live loads, types of foundation, drawing of foundation footing, Layout of building on ground, excavation, simple machine foundation, types of shoring and scaffolding in details, types of underpinning and timbering.
 - Treatments of building structures: Sources and effects of dampness, Methods of prevention of dampness in building, Types of Damp proofing materials and its properties, DPC.
 - Anti-termite treatment: objectives, uses and applications.
 - Fire proofing: Effect and rules.
 - Arches: Various components and its types.
 - Lintel: Types, wooden, brick, stone, steel & RCC.
 - Formwork: Slab, Beam, Column, Balcony etc.
 - Doors, window and Ventilators: Purpose, types and standard sizes.
 - Flooring: Types and Materials.
 - Stairs and Lifts: Types, various elements, Planning and designing.
 - Roofs & Roof coverings: Purposes, elements, types etc.
 - Truss-king post, queen post, mansard.
- 5. Building Planning:** Objectives & importance, orientation, local building Bye-Laws as per IS code, lay out plan & key plan, provisions for lighting and ventilation.
- 6. Building Services:** Introduction, terms used in Public Health Engineering (PHE), systems of sanitation, water supply with plumbing, sanitary fittings, etc., type of sewer, manholes & septic tank, water treatment plant, sewage treatment plant.
- 7. Surveying:**
- Introduction, history and principles of chain survey.
 - Various Instruments and its application, care and common terms, classification, accuracy, types.
 - Main divisions (plane & geodetic).
 - Chaining: field work and office work.
 - Compass survey: Instrument, bearing, traverse, local attraction, magnetic declination and true bearing, precautions in using prismatic compass and surveyor compass.
 - Plane table survey: Instrument used in plane table survey, care and maintenance of plane table.
 - Levelling: Auto level, dumpy Level, tilting level – introduction, definition, principle of levelling, levelling staffs and its types, components/parts and function of different levels, temporary and permanent adjustments, procedure in setting up, datum, benchmarks, focusing & parallax, application of levelling instruments in building construction.
 - Contouring: Definition, characteristics, methods, direct and indirect methods, interpolation of contour, contour gradient, uses of contour plan and map.
 - Theodolite survey: Introduction, types of theodolites, uses, methods of plotting, terms of transit theodolite, fundamental axes of theodolite, adjustment of theodolite, checks and adjustment of errors, open and closed traverse and their

application to engineering problems, vernier scale- types, measurement of horizontal angle, measurement of vertical angle, adjustment of a closed traverse, problems in transit theodolite, departure, latitude, northing and easting.

- GPS: Introduction, definition and application of Remote sensing.
- 8. Reinforced cement concrete structure:** Introduction to RCC, different types of concrete grades and their uses, bar bending details as per IS Code, reinforced brick work, structural elements – columns, beams, slabs -one-way slab & two-way slab, retaining wall, R.C.C. Framed structure.
- 9. Steel structures:** Common forms of steel sections, structural fastener, joints, tension & compression member, classification, fabrication, construction details.
- 10.Roads:** Introduction, history of highway development, general principles of alignment, classification and construction of different types of roads, component parts, road curves, gradient, road drainage system.
- 11.Bridges & Culverts:** Introduction to bridges, Component parts of a bridge, classification of culverts, abutments, wing walls, classification of bridges.
- 12.Railways:** Permanent way, types of rails, rail gauges, functions, requirements, sections, length of rail, types of joints, fish plate, fish bolt-spikes, chairs and keys-bearing plate and base plate.
- 13.Estimating and Costing:** Introduction, purpose and common techniques, measurement techniques, importance and its types, rate analysis of typical items and their specifications, labour and materials, schedule of rates, Units of measurement and standard mode of measurements.
- 14. Computer Aided drafting:** Operating system, hardware & software, Introduction to CAD, its Graphical User Interface, basic commands of CAD, knowledge of Tool icons and set of Toolbars, knowledge of shortcut keyboard commands.

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसीलनगर जिला

उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड

कीजाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967,
जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप
में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा

उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगर

जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम

.....तहसील नगर जिला

.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित)

उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्या:-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....
..... जिला..... पिन कोड.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल
निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी
स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई
सम्पत्ति धारित नहीं करता है:-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
 - II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि..... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग.....
पहचान चिन्ह..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो
जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टाँगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

(i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हाँ/नहीं

(ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।

हाँ/नहीं

(iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हाँ/नहीं

- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

डा0.....)

(डा0.....)

(डा0.....)

)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-04

मानचित्रकार/मानचित्रक/प्रारूपकार परीक्षा-2023 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र० सं०	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी	40%
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी	35%
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी	40%

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

मानचित्रकार / मानचित्रक / प्रारूपकार परीक्षा-2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों / नगरों की सूची-:

Sl. No.	District Name	City Name	City Code
01	Almora	Almora	001
02	Bageshwar	Bageshwar	002
03	Champawat	Champawat	003
04	Chamoli	Chamoli	004
05	Nainital	Haldwani	005
06	Udam singh nagar	Rudrapur	006
07	Pithoragarh	Pithoragarh	007
08	Dehradun	Dehradun	008
09	Pauri Garhwal	Pauri	009
10	Tehri Garhwal	Tehri	010
11	Haridwar	Haridwar	011
12	Rudraprayag	Rudraprayag	012
13	Uttarkashi	Uttarkashi	013

नोट :: आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-1** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

परिशिष्ट-06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o, a resident of
.....(Village/District/State) and to state that he/she has
physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to
his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor
disability Orthopedic specialist/PMR)**

परिशिष्ट-06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....

अध्यक्ष

ii. Orthopaedic/PMR specialist

iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)

iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/
Special Educator

v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)

vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।
7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

सचिव

परिशिष्ट-07 (I)

Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (II)

Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date: